मुख्य अभियंता-6, पटना का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक- II/मु०अ०-6 प्र०यु० 1- 430/25 3178 अ(?) पटना, दिनांक 09/09/25

प्रेषक,
ई० राम किशोर ठाकुर
मुख्य अभियंता-6
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, अरेराज।

विषयः शीर्ष MMGSY(AWSESII-SC) अन्तर्गत कार्य प्रमण्डल, अरेराज के अधीन MMGSY(AWSESII-SC)- ArerаJ-468 तक पथ निर्माण (Tender ID-142325) कार्य के निविदा निष्पादन के संबंध में।

प्रसंगः-अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-BRRDA(HQ)MMGSY-AWSESII-398/25 2330 अनु० दिनांक-08.09.2025

महाशय,

शीर्ष MMGSY(AWSESII-SC) अन्तर्गत कार्य प्रमण्डल, अरेराज के अधीन MMGSY(AWSESII-SC)- ArerаJ-468 तक पथ निर्माण (Tender ID-142325) कार्य के निविदा के वित्तीय बीड में सफल निविदाकार **Manoranjan Kumar Singh** (621191) को उनके द्वारा उद्धृत दर जो कि परिमाण विपत्र की दर से 14.55 प्रतिशत कम है अर्थात कुल राशि 6,36,13,965.00 (छः करोड़ छत्तीस लाख तेरह हजार नौ सौ पैंसठ) रू० मात्र पर कार्यहित एवं आपकी अनुशंसा के आलोक में यह कार्य आवंटित किया जाता है। इस निविदा के निष्पादन पर विभागीय निविदा समिति की सहमति प्राप्त है।

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा।

3. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, अरेराज के संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गई राशि एवं निविदा के साथ अग्रधन के रूप में जमा किये गये संबंधित एन०एस०सी०/पासबुक/फिक्स डिपोजिट/बैंक गारन्टी आदि का सत्यापन कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित करेंगे एवं कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व अग्रधन की राशि के सत्यापन से संबंधित कागजात अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4. एकरारनामा के पूर्व **Bid Validity** की अवधि विस्तार की जाँच के उपरान्त ही एकरारनामा सुनिश्चित किया जाय।

5. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाय एवं साथ में इसकी भी जाँच कर ली जाय कि संवेदक डीबार सूची से मुक्त है।

6. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता अग्रेतर कार्रवाई से पूर्व भली भाँति आश्वस्त हो लेगें कि पथ का हस्तांतरण हेतु विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

7. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत बीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।

8. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्राविधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।

9. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक विन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।

10. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें कोई त्रुटि न हो।

11. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्राविधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेष का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

12 कार्यादेश निर्गत करने से पहले संबंधित सवेदक से एकारारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु विस्तृत मदवार कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर ही एकरारनामा किया जाय।

13. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अंदर पूरा की जाय।

14. कार्य समाप्ति की अवधि परिमाण विपत्र के अनुसार होगी।

15. कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटित किये गये संवेदक से 10 दिनों के अन्दर एकरारनामा कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाय।

16. इस कार्य का व्यय विभाग द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति में अंकित शीर्ष अन्तर्गत होगा।

17. एकरारनामा के समय प्राक्कलन के अनुसार इस कार्य को पूरा करने हेतु संवेदक से मदवार कार्य योजना एकरारनामा के समय प्राप्त किया जाय तथा उस कार्य योजना की प्रति संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को भी उपलब्ध कराया जाय, ताकि

Manoranjan Singh

Executive Engineer,
Rural Works Department
Works Division, Areraj

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

मदवार प्रगति का आकलन कर कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित
कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता निर्धारित समय के अन्दर उक्त मद के मात्रा का सत्यापन प्राप्त नहीं
संवेदक से सुनिश्चित प्रत्येक 15 दिनों पर करेंगे। अगर संवेदक द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उक्त मद के मात्रा का सत्यापन प्राप्त नहीं
किया जाता है तो कार्यपालक अभियंता दण्डात्मक कार्रवाई संवेदक के विरूद्ध करेंगे। कार्यपालक अभियंता अगर उक्त निदेश का पालन
नहीं करते हैं तो वे स्वयं कार्रवाई के पात्र होंगे।
18. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु लौटाई जाती है। आप निविदा कागजातों एवं
तुलनात्मक विवरणी के जांचोपरान्त आप आवश्यक निदेशों को अपने स्तर से निर्गत करेंगे।
19. एकरारनामा से पहले निविदादाओं द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर ली जाय।
20. इस निविदा की राशि मे अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दी जाय।
21. कार्यपालक अभियंता एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या कार्यादेश में अंकित करेंगें
तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
22. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश के आलोक में अतिरिक्त
परफॉरमेंस सिक्यूरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगें।
कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।
23. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।
24. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर भुगतान
सुनिश्चित करेंगे।
25. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरेराज को निदेशित किया जाता है कि विभागीय पत्रांक–मु0अ0–4(मु0)
वेदि–23–261/2014–131 पटना दिनांक–13.12.2019 के आलोक में पत्र प्राप्ति के 24 घंटा के भीतर Letter of Acceptance
(LOA) संबंधित संवेदक को निर्गत कर इसकी सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
26. संवेदक के चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक–469 अनु0 दिनांक–28.01.2021 को अनुपालन करना
सुनिश्चित करेंगे। कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।
27. प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में दिए गए निदेशों का अनुपालन
सुनिश्चित किया जाय।
28. एकरारनामा से पूर्व नियमानुसार Character Certificate and GST Clearance Certificate प्राप्त कर लेंगे। इसका
प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।
29. कार्य के कार्यान्वयन में JV के सभी भागीदार की भागीदारी निविदा में दिये गये JV Agreement के अनुरूप होनी चाहिए।
यदि इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल हेतु सक्षम प्राधिकार के अनुमति प्राप्त करेंगे।
30. निविदा में यंत्र–संयंत्र एवं अभियंताओं के संबंध में दिये गए शपथ पत्र के अनुसार एकरारनामा करने से पहले इनके कागजात की
जाँच कर लेंगे। कार्य स्थल पर यंत्र–संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती सुनिश्चित करायेंगे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गए निरीक्षण के
क्रम यदि यंत्र–संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती में कमी पायी पायेगी तो नियमानुसार संवेदक पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जायेगा।
31. प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में दिए गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया
जाय।
अनु0–यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 09.09.25
मुख्य अभियंता–5, पटना

ज्ञापांक – 3178 /पटना, दिनांक– 09.09.25
प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना, को सूचनार्थ समर्पित।
(हस्ताक्षर) 09.09.25
मुख्य अभियंता–5, पटना

ज्ञापांक – 3178 /पटना, दिनांक– 09.09.25
प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
(हस्ताक्षर) 09.09.25
मुख्य अभियंता–5, पटना

ज्ञापांक– 3178 /पटना, दिनांक– 09.09.25
प्रतिलिपि: सहायक आई0टी0 मैनेजर, मुख्य अभियंता–5 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं ई–मेल पर
अपलोड करने हेतु प्रेषित।
(हस्ताक्षर) 09.09.25
मुख्य अभियंता–5, पटना

(हस्ताक्षर)

Scanned with OKEN Scanner

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division Areraj

Scanned with OKEN Scanner